प्रेषक,

औषधि नियन्त्रक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

सेवा में,

मे0 साइनोकेम फार्मास्युटिकल्स लि0,
प्लाट न0– 35–36, सेक्टर–6ए, आई0आई0ई0,
सिडकुल, रानीपुर, हरिद्वार।

संख्या– 17प/1/37/2005/3670 दिनांक 14/मार्च/2016

विषयः– **फार्म 26 पर औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांकः **24.08.2016** का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में श्री नीरज कुमार, औषधि निरीक्षक, हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांकः **11.03.2016** व आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर विचारोपरान्त फर्म को औषधियों के निर्माण हेतु **फार्म 25 पर लाइसेंस संख्या–19/यू0ए0/2005 एवं फार्म 28 पर लाइसेंस संख्या–17/यू0ए0/एस0सी0/पी0–2005** को **दिनांकः 16.09.2015 से 15.09.2020** तक नवीनीकरण करते हुए औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के अन्तर्गत **फार्म 26** पर नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। साथ ही अतिरिक्त आईटमों की सूची की प्रति अनुमोदित कर संलग्न की जाती है। यह लाइसेंस औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के निर्धारित मानकों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं। लाइसेन्स में अंकित शर्तों का एवं औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। आपके द्वारा औषधियों में अंग्रेजी के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा समय–समय पर हिन्दी में अंकन सम्बन्धी निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्माण कार्य किया जायेगा। अनुमोदित आइटम जो ***Pharmacopoeial*** है, के ***Generic*** नाम ***Label*** पर अवश्य लिखेगें। आपके लाइसेंसों पर अनुमोदित ऐसे *Fixed Dosage Combinations* जो महा औषधि नियन्त्रक भारत द्वारा अनुमोदित नहीं है उनके सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके ऐसे आइटमों की सेफ्टी एवं एफीकेसी से सम्बन्धित डाटा 15 जनवरी 2013 से 18 माह की अवधि में महा औषधि नियन्त्रक भारत के कार्यालय से प्रस्तुत करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

14/3/016

(ताजबर सिंह)
औषधि नियन्त्रण एवं
अनुज्ञापन प्राधिकारी (निर्माण)
गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

संख्या– 17प/1/37/2005/ तददिनांक

प्रतिलिपि – औषधि निरीक्षक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(ताजबर सिंह)
औषधि नियन्त्रण एवं
अनुज्ञापन प्राधिकारी (निर्माण)
गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

Form –26

(See Rules 73 and 83)

Certificate of renewal of Licence to manufacture for sale of drugs other than those specified in schedule- X

1- Certified that Licence No. **19/UA/2005 on form 25 & 17/UA/SC/P-2005 on form 28** granted to **M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd.**, for the manufacture of the following categories of drugs being drugs other than those specified in Schedule C, C(1) and X & Drugs specified in Schedule C & C(1) excluding those specified in Schedule X to the Drugs & Cosmetics Rules 1945, at the premises situated at- **Plot No. 35-36, Sector. 6A, IIE, SIDCUL, Ranipur, Distt. Haridwar, Uttarkhand** has been renewed form: **16-09-2015 to 15-09-2020.**

2- Names of approved competent technical staff:-

a. **For Manufacturing:**	**-(i).**	**Mr. Parveen Vyas (Tablet & Capsule)**
	-(ii).	**Mr. Amardeep (Oral Liquid)**
b. **For Analysis: -**	- (i).	**Sh. Pankaj Sharma (Chemical & Instrumental & (Microbiology)**

3- **Names of drugs – As per the list enclosed.**

Dated: 14-03-2016

DRUG LICENCING CUM CONTROLLING AUTHORITY UTTARAKHAND

14/3/016

(Tajber Singh)
Drug Controlling &
Licensing Authority (Mfg.)
Garhwal Mandal, Uttarakhand.

(Tajber Singh)
Drug Controlling & Licensing Authority (Mfg.)
Garhwal Mandal (Uttarakhand)